राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.8(7)गृह–12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक : 22 DEC 2016

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.07.15 द्वारा कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम–9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं राजस्थान बंदी के लिए खुली हवा शिविर नियम, 1972 के नियम 2 (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण गौशाला, गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला–हनुमानगढ़ जो कि 27225 वर्गगज क्षेत्रफल, को 10 बंदी क्षमता के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अस्थाई ''खुला बंदी शिविर'' घोषित किया गया है, जिसकी बंदी क्षमता 10 से बढ़ाकर 15 किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(के.के. शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक सामान्य/17/2014/42035 दिनांक 23.11.16 के क्रम में।
2. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
3. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, हनुमानगढ़।
7. अध्यक्ष, श्री कृष्ण गौशाला, गोलूवाला, पीलीबंगा, हनुमानगढ़।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव